

232

339

राजस्व मुद्रा नगरानी
 न्यायालय श्री मान् बहुमत महादेव स्वीका समाप्ति
 निगरानी
 राजस्व द्वितीय ०८८८८ क्रमांक । 2012

R - 142 - III / 2012



- 1- रामरदा पाण्डेय पिता रामशुभग पाण्डेय
- 2- घिरानी देवी विवाह पत्नी रामशुभग पाण्डेय
- 3- कैश कुवर विवाह पत्नी प्रह्लाद पाण्डेय
- 4- अमरेश |
- 5- अनिश |
- 6- आसुतोष | पिता प्रह्लाद पाण्डेय सभी अल्प वयस्क जरिये
सरदिका मा' कैश कुवर विवाहपत्नी प्रह्लाद पाण्डेय
- 7- महेन्द्रपिता हौटेलाल शर्मा
- 8- मुख्य सचिवा विवाह पत्नी राजेन्द्र शर्मा सभी निवासीगण ग्राम

तैलावा तहसील एवम सिराँलीम०प्र० ----- आवैदकगण / निगरानीकरागण

विरुद्ध

रामदुलारे पिता देवकरण तैली साक्षि चित्ररवैकला तहसील व जिला

सिराँली म०प्र० ----- अनावैदक गैरनिगराकार

राजनाथ किंशा (२०११) न्यायालय श्रीमान् क्लैब्टर महादेव जिला

सिराँली के राजस्व निगरानी क्रमांक 25/

निगरानी 2011-12 मे पारित आवैश दिनांक

19-11-2011 के विरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा

50 म०प्र० मूराजस्व संहिता के अधीन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक R-142-III / 2012

जिला—सिंगरौली

रामरक्षा पाण्डेय/रामदुलारे तेली

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 25/निग0/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 19.11.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">मेरी राजस्व मण्डल अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ</p> <p style="text-align: right;">(बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>	